अभियान

बच्चों की हिफ़ाज़त हम सबकी ज़िम्मेदारी

बच्चों के बारे में कुछ अहम बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के साथ होने वाले दुराचार पर करवाए गए अध्ययन के अनुसार:

- हर तीन में से दो बच्चों को मार-पिटाई जैसी शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है।
- 53.22% बच्चों को एक या अधिक तरह की यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है।
- दुराचार करने वालों में से आधे लोग या तो बच्चों के परिचित थे या फिर जिन पर बच्चे भरोसा करते थे और इसी कारण अधिकतर बच्चों ने ये बातें किसी को नहीं बताईं।

हकीक़त

- मासूम बच्चे यौन-हिंसा के सबसे आसान शिकार होते हैं और ऐसी हिंसा को अन्जाम देने वाले अपराधी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अधिकतर बच्चे या उनके परिवार वाले इस हिंसा का विरोध नहीं करेंगे।
- सरकार बच्चों की हिफ़ाज़त करने में पूरी तरह असफल रही है। परिवार और समुदाय भी बच्चों की हिफ़ाज़त करने में नाकामयाब रहे हैं। यहां तक कि वो संस्थान जिन्हें बच्चों कि सुरक्षा और देखरेख के लिए बनाया गया है, वो भी बच्चों की हिफ़ाज़त करने में नाकाम रहे हैं।
- ऐसे कई क़ानूनी प्रावधान, कार्यक्रम और सेवाएं हैं, जिनके ज़रिए हम बच्चों की हिफाज़त कर सकते हैं तथा उन्हें न्याय दिला सकते हैं। समस्या यह है कि उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता। हमें इन क़ानूनों और कार्यक्रमों के बारे में जानना होगा और सरकार पर इनके कार्यान्वयन के लिए दबाव बनाना होगा।

आइये मिलजुल कर कोशिश करें

हम सब बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। अगर हम एक साथ कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है।

दिल्ली और देश के अलग-अलग हिस्सों में बच्चों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा की वारदातों के मद्देनज़र, दिल्ली के स्वयंसेवी संगठनों के समूह ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है। हम ये जानना चाहते है कि तमाम क़ानूनों और व्यवस्थाओं के बावजूद हम क्यों बच्चों की हिफ़ाज़त करने में नाकामयाब रहे हैं। हमारा मानना है कि 18 साल से कम हर लड़का और लड़की बच्चे हैं और हम सब बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाली हर तरह की हिंसा की निंदा और विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य बच्चों और बचपन की सलामती और हिफ़ाज़त के लिए उचित कदम उठाने की ज़रूरत को समझे, उसे तरजीह दे और उनकी हिफ़ाज़त सुनिश्चित करे। हम मांग करते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी क़ानूनों का पूरी तरह से पालन हो, न्याय प्रक्रिया संवेदनशील हो और बिना देरी के न्याय मिले। साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पीड़ित बच्चों और गवाहों की सुरक्षा और सहायता के पुख्ता इंतजाम हों, गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके और साथ ही साथ हिंसा के शिकार बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था भी हो सके।

यह अभियान दिल्ली के अलग-अलग कोनों में चलाया जा रहा है। हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करें, इस अभियान को आगे बढ़ाएं और मांग पत्र पर दस्तखत करके उसका समर्थन करें। हम इस मांग-पत्र को देश के नेताओं और सरकार के समाने रखेंगे और सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे कि सरकार बच्चों की हिफ़ाज़त सुनिश्चित करे।

क्या आपको मालूम है

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पुलिस को गुमशुदा बच्चों के बारे में एफ़.आई.आर. दर्ज करने के लिए **24** घंटे तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और न ही एफ़.आई.आर. से पहले प्रारंभिक जांच पड़ताल की ज़रूरत है। अगर पुलिसकर्मी फिर भी एफ़.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करता है तो आप **011-23490209** पर संपर्क कर सकते हैं।
- हर पुलिस स्टेशन में एक ऐसा पुलिस **बाल कल्याण अधिकारी** होता है जिसका काम बच्चों से संबंधित सभी मामलों की कार्रवाई करना होता है।
- अगर आप बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुराचार या हिंसा देखते हैं तो आप बच्चों की मदद के लिए बनी चाईल्ड लाइन **1098** पर फ़ोन कर सकते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है और जिसकी टीम बच्चों की मदद के लिए **24** घंटे तैयार रहती है।
- हर ज़िले में एक **बाल कल्याण समिति** की व्यवस्था की गई है। अगर आप बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुराचार या हिंसा देखते हैं तो इनसे भी मदद मांग सकते हैं। बाल कल्याण समिति का पता और फ़ोन नंबर आप **1098** से ले सकते हैं।

संपर्कः किशोर झा
kishore.tdh@gmail.com

बच्चों की हिफ़ाज़त - हम सबकी ज़िम्मेदारी
दिल्ली बाल अधिकार समूह